दिल्ली में नये राशन कार्डों के लिए निर्धारित नियम

371. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग ने अपने सभी मंडलों में नये राशन कार्डों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से यह कहा गया है कि वे दो रुपये के अदालती कागज में यह शपथ पत्र दें कि आवेदक अपने आवेदन-पत्र में दिये गये पते पर सपरिवार रहता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्टाम्प पेपर, इत्यादि की मांग किए जाने संबंधी तथ्य का पता लगाने के लिए कोई जांच कराने का विचार रखती है ; और दिल्ली प्रशासन के किस नियम के अधीन यह अनिवार्य है कि वह आवेदकों से इस तरह का स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने के लिए कहे ;

(ग) क्या सरकार आवेदकों को भविष्य में वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को समाप्त करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने ऐसे अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, पूर्वी दिल्ली में एक सर्कल में कुछ आवेदन-कर्ता अपने आप इस संबंध में शपथ-पत्र दे रहे हैं कि उनके पास कहीं भी कोई खाद्य कार्ड नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली के नागरिक पूर्ति विभाग के निरीक्षकों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

372. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987-88 के वर्ष के दौरान दिल्ली प्रशासन को खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के सभी मंडलों के निरीक्षकों और अधिकारियों के विरुद्ध, उनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितनी शिकायतें लम्बित हैं तथा कितनी शिकायतों पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) कितनी शिकायतें निपटा दी गयी हैं अथवा कितनी शिकायतों को निपटा दिए जाने का विचार है ;

(घ) इन शिकायतों का पदवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (घ) 1987-88 के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों तथा निरीक्षकों के खिलाफ 64 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 52 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है तथा 12 शिकायतों की जांच की जा रही है।

प्राप्त हुई शिकायतों में दुर्व्यवहार तथा जनता/लाइसेंसधारियों को तंग करने और रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया गया है।

Allotment of essential commodities to West Bengal

373. SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the quantity of sugar, rice, wheat, kerosene and edible oils al-